



विवरण

गुणवत्ता की वसुधा - 60,179,203/-
 नगर पालिका - 3,34,960/-
 अथवा विरगुण वसुधा श्रेणी का 33,500/-

- | | | | |
|----|-------------------|---|------------------------|
| 1. | गुणवत्ता की वसुधा | - | गुणवत्ता |
| 2. | नगर | - | विजयपुर |
| 3. | शह | - | शह |
| 4. | वसुधा की वसुधा | - | गुणवत्ता वसुधा 291 एकर |



2011



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



- | | | | |
|-----|----------------------|---|---|
| 5. | चपन की ईकाई | - | टेकटेअर |
| 6. | एन्चिंग का क्षेत्रफल | - | 0.1256 हेक्टेअर |
| 7. | सड़क की स्थिति | - | सुल्तापुर रोड व अमरशारीव पथ से लगभग 200 मीटर से ऊपर |
| 8. | संपत्ति का प्रकार | - | भूमि |
| 9. | पट्टे की स्थिति | - | नली |
| 10. | रॉयल्टी कुल बाल | - | शुद्ध भी नली है । |

घोड़द्वी खसरा नं० 591

उत्तर : खसरा नं०-590
 स्थिति : खसरा नं० 592
 भूखण्ड : खसरा

श्री. अ. श्री. श्री.

मि. श्री.

भारतीय न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

₹. 5000

पाँच हजार रुपये

Rs. 5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



पंजीम : एम॥ नं० 588

बीछरी खसरा नं० 773

- ऊत्तर : खसरा नं० 715, 771
- बंदिण : खसरा नं० 774
- बुलन : खसरा नं० 772
- पंशिनन : खसरा नं० 775


बीछरी खसरा नं० 775

- ऊत्तर : खसरा नं० 715
- बंदिण : खसरा नं० 773
- बुलन : खसरा नं० 773, 774

बंदिण



भारतीय गैर न्यायिक



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



पश्चिम : खसरा नं० 776
 नौहत्वी खसरा नं० 1523
 उत्तर : खसरा नं०-1622
 दक्षिण : खसरा नं० 1624
 पूर्व : खसरा नं०-1624
 पश्चिम : खसरा नं०-1621


प्रथम पक्ष श्री राजा-1 : द्वितीय पक्ष श्री राजा-1

निवेदन का विवरण	श्रेणी का विवरण
पत्नी श्री पुत्र एवं निवासी- नगर- शरीना, परमना	श्री श्री पुत्र लियाराम निवासी ग्राम निवासी निवासी पंच नौगंज, लखीम


श्री



भारतीय रिज़र्व बैंक INDIA NON JUDICIAL



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



5

रजिस्ट्रार : खसरा नं०-776

नीलसो खसरा नं० 1623

- उत्तर : खसरा नं०-1622
- दक्षिण : खसरा नं०-1624
- पूरुब : खसरा नं०-1620
- पश्चिम : खसरा नं०-1621

प्रथम पक्ष की संख्या- 1

द्वितीय पक्ष की संख्या- 1

दिल्ली का विभाग	श्रेणी का विवरण
पर्यटन पुत्र सेवा निवासी- गवारा- श्रीनंद, पररना	बंदिन्द्र पुत्र लखराम निवासी ग्राम मिर्जापुर विहारो चं० नौबोन, सहासौर



भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL




उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH




-6-

बिजनौर तहसील व जिला लखनऊ।	व जिला फतेहपुर।
सिवायाम ग्राम	व्यसतन, कृषि

जहाँ स्थित जिले परीचीन पुन गाँव निवासी- मनध परीना, परमाना बिजनौर तहसील व जिला लखनऊ जिले आगे विदेवा नाम स्थ है एवम् वीरच पुत्र सिवायाम निवासी ग्राम बिजापुर मिटारी पोस्ट बीरगंज, तहसील व जिला फतेहपुर जिले आगे केता कला नाम है के गज निष्पत्ति सिद्धा बना।



INDIA NON JUDICIAL



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



यह कि. वि. वि. भूमि अक्षा संख्या 591 (का 0.025 हे० का पूर्ण भाग व अक्षा संख्या 771 खण्ड 0.025 हे०, अक्षा संख्या 775 खण्ड 0.065 हे०, अक्षा संख्या 1623 खण्ड 0.321 हे० मूल खण्ड 0.311 हे० का 1/3 भाग अर्थात् खण्ड 0.1035 हे० इस प्रकार मूल वि. वि. खण्ड 0.3296 हे० स्थित ग्राम- बरौत, परगना विमनौर, जिल्ला न. विशा लखनऊ का मारिक, समिल व अधिल है जहां उपरोक्त सत्यापित वार्षिक खतीनी दम संख्या 00092 व 01135 के अनुसार भूमि वि. वि. के नाम रिकार्डीय भूमिगत न. का में है और वि. वि. के नाम का


के शि

Handwritten signature and a circular stamp at the bottom left of the page.

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500



FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये

सत्यमेव जयते

Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



अपने दायित्व उत्तर प्रदेश अधिनियम में दे दिया है। विवेका को पेशी को मजदूरी आवश्यकता के कारण विवेका अपना सम्पूर्ण जिला देता कि ३४ दिवस मिले। अब विवेका का एक है विवेका अपने एक सम्पूर्ण जमीन के मालिक, कर्मिका व मालिक है एवं बर्तमान समय में जल भूमि कृषि भूमि है और अतः भूमि मजदूरी भूमि का जिला नहीं है। यह कि विवेका यह पेशी करता है कि उपरोक्त वर्णित भूमि एसी प्रकार के भावी में मुक्त एवं पाठ व नाक है तथा विवेका ने उसे एक विवेका के पूरे कर्तव्य, जिला, विवेका या अनुबन्धित इत्यादि नहीं किया है। विवेका ने एक भूमि पर भूमि कर

विवेका परिसर

या अन्य प्रकार का कोई नया नहीं लिया है। यदि कोई ऐसा नया परिवार में निकलता है तो उसके विम्बहार विदेता व उसके परिवारान व विश्व उत्तराधिकारी होंगे। उपरोक्त भूमि या उसका कोई भाग किसी व्यापार या मजदूरी कार्यवाही के अन्तर्गत लिया या बस्तु विपणन नहीं है, न ही कुछ दायित्व है। विदेता व अतया उक्त भूमि में किसी अन्य व्यक्ति का स्वाम्य, एक या तथा इत्यादि नहीं है, एवं विदेता को उक्त विक्रय अन्तर्गत करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अतएव उपरोक्त सम्पत्ति के फलस्वरूप कुल विक्रय मूल्य रु० 1,79,263/- के अतिरिक्त में निम्नलिखित उपरोक्त भूदा प्राप्त विदेता को इस विवेक से अन्त में ही गई अनुपूर्वों में उचित विधि से अनुसार भुगतान एवं दिवा गया है एवं निम्नी प्राप्ति को विदेता को स्विकार करने है, अतएव उक्त विवेक उक्त भूदा से सब उपरोक्त योग्य भूमि, निम्नलिखित एवं विक्रय विशेष के अन्त में अनुपूर्वों से अन्तर्गत दिया गया है, जो अन्तर्गत देय दिया है, एवं विदेता ने विक्रयशुदा भूमि का मोर्चे पर कब्जा केन को दायी नष्ट दिया गया है। उक्त उक्त आगामी पर विदेता तथा उसके परिवारान या कोई अधिकार नहीं है। विदेता ने विक्रयशुदा सम्पत्ति को अपने स्वामित्व के अन्तर्गत अधिकारी के साथ पूर्णतया व उद्देश के लिए कंता को उत्तराधिकार कर दिया है। उक्त कंता विक्रयशुदा सम्पत्ति एवं उसके उत्पन्न भाग को अपनी एकलव्य स्वामित्व व अधिकार व कब्जे में सम्पत्ति के रूप में प्राप्त एवं उपयोग व उपयोग करने। विदेता व उसके परिवारान अपने किसी प्रकार की अन्तर्गत नहीं करी दान नहीं एवं न ही कोई मांग कर लगे और यदि विक्रयशुदा

गैरिद

डि. अ. परीति


सम्पत्ति अथवा कोई वाग चिह्नता के सम्बन्ध में नुस्ते के अन्तर्गत या कानूनी शङ्कन या कानूनी नुस्ते के कारण केंद्र या उसके वरिष्ठान निष्कारणमय हस्तादि के कब्जे या अधिकार या लाला से निकल जाये तो केंद्र उसके वारिष्ठान, निष्कारणमय हस्तादि भी वह एक देगा कि वह अपना स्वतन्त्र हुकमान पत्र हस्ता व लाला, विवेका की पत्र, अन्ततः सम्पत्ति से वरिष्ठ अधिकार वसूल करेगा। इस स्थिति में विवेका एवं उसके वरिष्ठान हस्ता व लाला देने हेतु बाध्य होगा।

यह कि विवेका यह भी घोषित करता है कि ऊपर भूमि सञ्चालन विभाग अधिनियम, सञ्चालन तथा 3000 अनाम एव विचार परिषद, सञ्चालन तथा अन्य विभागों की सार्वकारी अथवा गैर सार्वकारी सत्त्वा वाग अधिकारीत नहीं की गयी है और न ही जालानि है।

यह कि केंद्र निम्नलिखित सम्पत्ति की सञ्चालन वारिष्ठ एतत्तः अंग्रेजों में अपने नाम रख कराने से विवेकापत्र की कोई अनामि न लयी और यह कि इस विवेका विवेका के पूर्ण का अन्तर्गत कोई कानून सिद्धि वरत का भाग इस सम्पत्ति पर होगा तो उसके विवेका हुकमान व वरत करे, विवेका की कोई अनामि न होगी।

यह कि उपरोक्त भूमि 30- अर्धना अर्धनगरीय क्षेत्र के सामान्य अन्तर्गत अन्तर्गत आता है इन्फिन्ट निष्कारित अर्धनगरीय क्षेत्र तथा 11,00,000/- प्रति हेक्टेयर दरियाय से विवेका भूमि 0.1006 हेक्टेयर की सञ्चालन का 1,13,900/- लेनी है इन्फिन्ट उपरोक्त भूमि में से अन्तर्गत सत्त्वा 00135 का

दिनांक 5/1/53



अथ 0,025 भा है जो कि गिरि विद्या से कम है इसलिए आकाशीय पर
 रू 850/- के हिसाब से 260 वर्गमीटर की परिधि पर 2,21,000/-
 लेगी है इस प्रकार भूमि की कुल परिधि पर 3,34,960/- लेगी है
 चूंकि स्थित कुल भूमि की वास्तविक मूल्य से कम है इसलिए नियमानुसार
 वास्तविक मूल्य पर तो रू 33,500/- का अंतर स्थापित किया जा जा
 है। यह कि आगे चल विकीर्ण भूमि कुल के उपयोग के लिए पर भी जा
 रहे है। भूमि में कोई भी इमारत आदि नहीं है तथा किसी प्रकार की
 आवासीय परियोजनाएं नहीं चल रही है व कोई नक्काश, जुआ भी नहीं है,
 तथा 260 मीटर के क्षेत्रफल में कोई निर्माण नहीं है किसी भूमि किसी
 लिंक मार्ग, सड़क या जनपथीय मार्ग पर स्थित नहीं है। किसी भूमि
 सुल्तानपुर रोड से व अन्य इलाके का से लगभग 200 मीटर से अधिक
 दूरी पर स्थित है। विक्रेता एवं क्रेता दोनों अनुसूचित जाति के सदस्य हैं।
 इस विक्रय विरोध के कारणों का समस्त लाभ क्रेता द्वारा गहन किया गया
 है।

सिद्धान्त पर विक्रय एवं विक्रेता ने घंटा नं. 14 में लिख दिया ताकि
 तत्पश्चात् कोई भी आवश्यकता पड़ने पर कानूनी कार्य हो सके।

भारतीय विधान विवरण

1. विक्रेता को रू 1,79,253/- का राशि संख्या- 53 7677
 दिनांकित 02.07.2017 काय बैंक, इलाहाबाद शाखानक
 केना में जमा हुए

(Handwritten signature)



इस प्रकार विहोला की कुल विक्रम मूल्य 1,79,263/- (अथवा एक लाख अठ्ठासी हजार दो सौ तिराहठ पाव) देता से प्राप्त हुए जिसकी जाति विहोला खीमार मन्तरे है तथा उस विहोला को देता से कुछ भी लेना संभव नहीं है।

तथानक

दिनांक 01/07/2007

गयास न्येला की परलयन को

1. Subhash Chandra
2034 GC Sankar
203/19, Harnandi
1-1-10

2. विहोला की परलयन की /
कुल मूल्य 1,79,263/- देता से प्राप्त
होना 1,79,263/- देता से

संलग्न
(हस्ताक्षर)

सिक्किर कोर्ट तथानक

विहोला खीमार मन्तरे
देता
विहोला

देता
देता

मानविवाकर्ता
(विहोला खीमार मन्तरे)
एडवोकेट




संख्या

पञ्जाब सरकार

5734

1926

0-26



1926




1926

10/10/10


10/10/10 - 10/10/10

10/10/10 - 10/10/10

(10/10/10)



10/10/10



10/10/10

Registration No. 611


Year: 2002

History

City: ...


...

...




1623

17/5



1623

17/5



1623

7991


Registration No. 2001

Name

2001

Date Recd.

0474 श्रीमान्
श्रीमान्
श्रीमान् श्रीमान् श्रीमान् श्रीमान्
श्रीमान्



7991


● रिजर्वेशन अधिनियम-1908 की धारा 32-ए के अनुपालन हेतु पिंगरी प्रिन्सर्स

संग्रहकर्ता/पिन्सर्स का नाम व पता :- पिन्सर्स

सबसे लाभ देने अनुसूचियों के चित्र :- अर्धशुद्ध, अर्धप्रसूत



सबसे लाभ देने अनुसूचियों के चित्र :-




संग्रहकर्ता/पिन्सर्स का नाम व पता :-


संग्रहकर्ता/पिन्सर्स का नाम व पता :-

संग्रहकर्ता/पिन्सर्स का नाम व पता :- पिन्सर्स

सबसे लाभ देने अनुसूचियों के चित्र :- अर्धशुद्ध, अर्धप्रसूत



सबसे लाभ देने अनुसूचियों के चित्र :-



संग्रहकर्ता/पिन्सर्स का नाम व पता :-

संग्रहकर्ता/पिन्सर्स का नाम व पता :-

अभ्यास क्रमांक 05/11/2000 को
नामी च डि. वि. सं. २५५१
प्रकाश सं. १०५१ सं. २२० भा. क्रमांक: ०३३०
प्रो. नं. १०५१ दिनांक २५/११/००

प्रा. वि. सं. २५५१
नाम निदर्शक (प्रकाश)
प्रा. वि. सं.
२५-११-००

